

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-53/2026-

/स्वा०,

पटना, दिनांक :

डॉ० अर्चना द्विवेदी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, भभुआ के दिनांक-16.04.2025 से 14.07.2025 तक कुल-90 दिन प्रथम संतान के देखभाल हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय ज्ञापाक-9889, दिनांक-01.12.2015 एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1064(25), दिनांक-19.05.2026 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात डा० द्विवेदी के पक्ष में 640 (छः सौ चालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-53/2026-

1348(2)

पटना, दिनांक : 17/6/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, भभुआ/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भभुआ/अधीक्षक, सदर अस्पताल, भभुआ/डॉ० अर्चना द्विवेदी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wm R 16/6/26
सरकार के उप सचिव।